

उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी का कार्यालय, देवघर।

(जिला राजस्व कार्यालय)

दूरभाष संख्या :-(08580271229)

ई-मेल:- (acdeoghar2010@gmail.com)

अनापत्ति प्रमाण-पत्र

देवघर जिलान्तर्गत झारखण्ड उर्जा संचरण निगम लिमिटेड द्वारा 132 के0वी0 द्विपथ हंसडीहा-जसीडीह संचरण लाईन के निर्माण परियोजना में सन्निहित Deemed Forest भूमि (जंगल-झाड़ी, जंगल सखुआ इत्यादि) के संबंध में अधिग्रहित अनापत्ति प्रमाण पत्र के संदर्भ में गैरमजरूआ Deemed Forest (जंगल-झाड़ी, जंगल सखुआ, जंगल इत्यादि) भूमि का विवरण निम्नवत् है:-

SL. NO.	NAME OF ANCHAL	MAUZA	THANA NO.	KHATA NO.	PLOT NO.	AREA OF GM (JJ) IN hactre.
1	मोहनपुर	बलथर	891	65	1138	0.9697
2		रोपनी	886	25	536	0.1538
				26	533	1.5800
3		बुढ़वाकुरा	888	42	345	0.6299
					64	0.0517
4		जमुनियाँ	887	41	481	0.3016
					878	0.2937
				426 / 1122	0.4839	
		40	879	0.1855		
5		गंधवा	508	15	80	0.4620
6	बलजोरा	507	21	335	0.2800	
7	पिरामोह	869	28	446	0.6051	
8	फुटाबांध	890	—	225	0.2944	
				255	1.2700	
9	देवघर	गरीबखील	243	8	21	0.0247
				13	22	0.8790
				12	147	0.1183
Total -						8.5833

132 के0वी0 द्विपथ हंसडीहा-जसीडीह संचरण लाईन के निर्माण परियोजना में कुल रकवा में 8.5833 हेक्टेयर, किस्म भूमि जंगल-झाड़ी सन्निहित है। तथा यह अधिसूचित वन भूमि तथा संरक्षित वन भूमि एवं अन्य वन (Deemed Forest) भूमि से बाहर है। इसके अपयोजन हेतु माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के आलोक में प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा वन संरक्षण अधिनियम-1980 के तहत पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार से पूर्वानुमति प्राप्त करने की शर्त है। पूर्वानुमति प्राप्त होने के पश्चात् इसके विधिवत् हस्तांतरण हेतु प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा गैरमजरूआ भूमि के हस्तांतरण के प्रस्ताव की प्रक्रिया की तरह प्रस्ताव समर्पित किया जाएगा। तदनुसार गैरमजरूआ जंगल झाड़ी (Deemed Forest) भूमि के सशुल्क हस्तांतरण/लीज बन्दोवस्ती हेतु राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा राज्यादेश निर्गत किया जाएगा।

उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी,
देवघर।

ज्ञापांक...581.../रा0, देवघर, दिनांक...08/05/2025

प्रतिलिपि : वरीय प्रबंधक, संचरण प्रमंडल, दुमका के पत्रांक 246/दुमका, दिनांक 08.06.2023 के आलोक में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : अंचल अधिकारी, देवघर/मोहनपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : जिला कल्याण पदाधिकारी, देवघर को FRA के पत्रांक 666/(welfare), दिनांक 15.04.2025 के आलोक में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : अनुमंडल पदाधिकारी, देवघर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, देवघर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई प्रेषित। कृपया जिला के वेबसाइट पर अपलोड करना सुनिश्चित किया जाय।

प्रतिलिपि : वन प्रमण्डल पदाधिकारी, वन प्रमण्डल देवघर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : प्रमण्डलीय आयुक्त, संथाल परगना प्रमण्डल, दुमका को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : सरकार के सचिव, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु समर्पित।

उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी,
देवघर।